एपीडा - टैस - 2015-16

28 अक्टूबर, 2015

1 नवंबर 2015 से 31 मार्च 2017 से प्रभावी वायु एवं पोत द्‌वारा निर्यात के लिए परिवहन सहायता अनुदान हेतु संशोधित प्रक्रिया

श्रीमान,

परिवहन सहायता योजना के अंतर्गत 22 सितंबर, 2014 को दिनांकित इससे पूर्व के परिपत्र सं.एपीडा/टैस/2014-15 के क्रम में पंजीकृत निर्यातकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। एपीडा द्‌वारा 1 नवंबर 2015 से 31 मार्च 2017 से प्रभावी निर्धारित बागवानी उत्पाद , प्रसंस्कृत खाद्‌य , कुक्कुट और डेयरी उत्पादों के पंजीकृत निर्यातकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसके द्‌वारा निर्यातकों को परिवहन सहायता आवेदन-पत्र को संलग्न अधिसूचना के अनुसार अपेक्षित दस्तावेजों की स्कैंड प्रतिलिपि सहित ऑनलाइन प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है। एपीडा द्‌वारा अधिसूचना में निर्धारित प्रक्रियाओं/ दिशा निर्देशों के अनुसार आवेदन को सत्यापन और संवितरण की प्रक्रियाओं के लिए प्राप्त किया जाएगा। आवेदक के लिए यह अनिवार्य है कि वह आवेदन को एपीडा की वेबसाइट www.apeda.gov.in पर इलेक्ट्रनिक तरीके से भरे। इस संदर्भ में 1.11.2015 से निर्यात हेतु आवेदन संबंधी भौतिक दस्तावेज़ स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

भवदीय,

एस.एस.नैय्यर

महाप्रबंधक

प्रचलन हेतु प्रति :

1. निर्यातक संघ
2. नोटिस बोर्ड, एपीडा मुख्यालय
3. सभी क्षेत्रीय कार्यालय
4. एपेक्स में अधिसूचना हेतु सहायक महाप्रबंधक (पीआर)

अधिसूचना

बागवानी, प्रसंस्कृत खाद्य, कुक्कुट और डेयरी उत्पादों के निर्यात हेतु परिवहन सहायता

पॉइन्ट नं. 23 के अंतर्गत बागवानी, प्रसंस्कृत खाद्य, कुक्कुट और डेयरी उत्पादों के निर्यात के लिए परिवहन सहायता अनुदान हेतु योजना को भारत सरकार द्वारा 23.12.2013 को दिनांकित आदेश संख्या. 1/4/2012- ईपी (एग्री IV) के द्वारा पारित किया गया। 1/1/2014 से 31/3/2017 की अवधि के दौरान निर्यात हेतु लाभ उपलब्ध है। 1.11.2015 से प्रभावी निर्यात हेतु परिवहन सहायता का दावा करने के लिए संशोधित प्रक्रिया और नियम तथा शर्तें निम्नलिखित हैं :

1) निर्यातक लदान के आधार पर परिवहन सहायता का दावा करें। पहली से कैलेंडर की आखिरी तिथि तक अर्थात् एक माह के दौरान एक आवेदन लदान हेतु तैयार किया जाए। यद्यपि , विशिष्ट मामलों में चार आवेदन-पत्रों को एक माह के लिए बनाया जा सकता है।

2) आवेदक के लिए यह अनिवार्य है कि वह लदान संबंधित समस्त जानकारी एपीडा वेबसाइट (http://www.apeda.gov.in) पर प्रस्तुत करे। एपीडा द्वारा प्रदत्त आनलाइन आवेदन और आवेदन में प्रवेश करने हेतु आईडी और पासवर्ड एक ही होगा।

3) लदान से संबंधित सभी दावे अनिवार्य दस्तावेज़ो के साथ एकत्रित कर तैयार हो जाने चाहिए और एकल आवेदन के रुप में इलैक्ट्रॉनिक तरीके से एक महीने के भीतर प्रस्तुत किए जाने चाहिए। इस संदर्भ में 1.11.2015 से निर्यात हेतु आवेदन संबंधी भौतिक दस्तावेज़ स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बोर्ड और कस्टम (सीबीईसी) से प्राप्त ऑनलाइन शिपिंग बिल में उल्लेखित वैध एचएस कोड सहित उपयुक्त उत्पादों हेतु आवेदक आवेदन कर सकता है। यदि निर्यातक के पास उपलब्ध उपयुक्त उत्पादों हेतु शिपिंग बिल की ईपी प्रति (हार्ड कॉपी) एपीडा वेबसाइट पर उपलब्ध उपयुक्त उत्पादों के एचएस कोड (http://www.apeda.gov.in/HScode) से मेल नहीं खाते हैं तो ऑनलाइन प्रणाली आवेदन को स्वीकार नहीं करेगी।

5) सर्वप्रथम प्राप्त किए जाने वाले आवेदनों को महत्ता दी जाएगी, जो कि स्कैंड दस्तावेज़ों से फंड की उपलब्धता के अधीन के साथ आवेदन की ऑनलाइन प्रस्तुत करने की तिथि पर आधारित होगा।

खंड 6 और 24 (एफओबी लदान) के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेज़ों की स्कैंड प्रतियों को प्रस्तुत न करने पर एपीडा द्वारा आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा और आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा।

6) ऑनलाइन दस्तावेजों की आवश्यकता और संबंधित आवश्यकताएं

निम्नलिखित दस्तावेज़ों की मूल प्रति की स्कैंड प्रति ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाए :

अ.) बैंक प्रमाणित वाणिज्यिक बीजक

आ.) समुद्री लदान की स्थिति में माल की रसीद

इ.) लदान कंपनी/ माल भाड़ा अग्रेषण एजेंट से माल बीजक

ई.) बैंक बोध सर्टिफिकेट (बीआरसी) / ई - बीआरसी

7) रीफ़र कंटेनर, कारखाने भराई रिपोर्ट और अंतर्देशीय भाड़ा बीजक अंतर्देशीय भाड़ा सहायता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। यदि ये दस्तावेज़ ऑनलाइन प्रस्तुत नहीं किए गए तो अंतर्देशीय भाड़ा सहायता नहीं दी जाएगी।

8) यदि दस्तावेज़ों में किसी प्रकार का परिवर्तन है तो एयरलाइंस / शिपिंग लाइंस / सीमा शुल्क अधिकारियों / अन्य अधिकारियों द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। यदि प्रचालन प्राधिकरण द्वारा कोई सुधार प्रमाणित नहीं किया गया तो उसे असंगत माना जाएगा।

9) परिवहन सहायता की गणना हेतु समुद्री लदान के संबंध में बुनियादी भाड़े और हवाई लदान के संबंध में कुल भाड़े पर विचार किया जाएगा।

10) भाड़ा बीजक में स्पष्ट रूप से विभिन्न घटकों जैसे बुनियादी भाड़े, बीएएफ, सीएएफ आदि का संकेत होना चाहिए। अन्यथा परिवहन सहायता की परिशिष्ट-I के अनुसार पूर्व निर्धारित कटौती से गणना की जाए।

11) निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के साथ उनकी संबंधित मात्रा को पृथक रुप से बीजक और लदान रसीदों के साथ एपीडा वेबसाइट पर उल्लेखित मान्य एचएस कोड के साथ उल्लेखित किया जाए।

12) लदान रसीद / लदान पत्र / वायुमार्ग रसीद साथ ही बीजक में स्पष्ट रुप से एचएस कोड , उनके पैकेजों की संख्या / नेट के साथ गत्ते के डिब्बे और पृथक रुप से हर उपयुक्त उत्पाद का कुल भार होना चाहिए।

अन्य लागू शर्तें :

13) परिवहन सहायता केवल लदान को प्रभावित करने वाले निर्यातक को भुगतान की जाएगी किसी अन्य को नहीं। वह निर्यातक जिसका नाम निर्यातक पार्टी के रुप में दस्तावेज़ों में है इस प्रकार की अन्य पार्टी को परिवहन सहायता नहीं दी जाएगी।

आवेदन देर से प्रस्तुत करने पर जुर्माना और अस्वीकृति

14) आवेदन देर से प्रस्तुत करने की स्थिति में परिशिष्ट II में उल्लेखित निर्धारित तिथि के अतिरिक्त, निम्नलिखित जुर्माना लगाया जाएगा :

विलंब की अवधि	**सहायता देय की अवधि के प्रतिशत में जुर्माना कटौती**
अ.) निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त हुए परंतु आवेदन निर्धारित तिथि के 30 दिनों के भीतर प्राप्त होने पर	5%

आ.) निर्धारित तिथि के 31-60 दिनों के भीतर प्राप्त आवेदन	10%
इ.) निर्धारित तिथि के 61-90 दिनों के भीतर प्राप्त आवेदन	20%
ई.) निर्धारित तिथि के 90 दिनों के उपरांत आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा	पूर्ण अस्वीकृति

15) निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) के संबंध में, टैस की प्रस्तुति के दावे को केवल विदेश व्यापार नीति (अनुच्छेद 6.12, अध्याय - 6) के अनुसार 180 दिनों की अपेक्षा 270 दिनों तक की अनुमति दी गई है। उन मामलों में देर से की गई प्रस्तुति के लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी और सामान्य मामलों में लागू जुर्माना लगाया जाएगा। ईओयू की पहली और दूसरे पुन: प्रस्तुति की शर्तें दिशानिर्देशों के अनुरुप होंगी।

16) यदि किसी मामले में विसंगति परामर्श भेजा गया है, आवेदन की पुन: प्रस्तुति एपीडा के उसी कार्यालय में की जाएगी जहां वह आवेदन भरा गया है।

अ) अधिकतम दो पुन: प्रस्तुति अनुमेय हैं।

आ) प्रथम पुन: प्रस्तुति - विसंगति परामर्श के जारी होने के 60 दिनों के भीतर

इ) द्वितीय पुन: प्रस्तुति - दूसरा विसंगति परामर्श के जारी होने के 30 दिनों के भीतर

ई) फीफो प्रक्रिया ऑनलाइन पुन: प्रस्तुति विवरण रसीद की तिथि के आधार पर अपनाई जाएगी।

उ) उपरोक्त आ) और इ) के अनुसार यदि निर्धारित समय में विसंगति को नहीं सुधारा गया तो यह मामले ऑनलाइन सॉफ्टवेयर द्वारा स्वचालित रुप से बंद हो जाएंगे।

विसंगति के कारण हुए हर पुन: प्रस्तुति पर प्रस्तुत करने की सहायता के 1% का जुर्माना पृष्ठ 3 पर लगाया जाएगा और देरी से प्रस्तुत करने के लिए जुर्माना लगाया जाएगा।

विविध :

17) सरकार द्वारा निर्णय प्रोसेसिंग (प्रसंस्करण) शुल्क और लागू सेवा प्रभार लागू होगा। वर्तमान में प्रोसेसिंग (प्रसंस्करण) शुल्क एपीडा द्वारा निर्यातक के लिए भुगतान की गई राशि का 5% है और सेवा प्रभार प्रोसेसिंग (प्रसंस्करण) शुल्क का 14% है।

18) इन धाराओं में से इन मामलों से संबंधित किसी भी विवाद की व्याख्या को भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय को भेजा जाएगा जिसका निर्णय अंतिम और अनिवार्य होगा।

19) किसी भी झूठे दावे की दर्ज गई स्थिति, पात्रता के बिना सब्सिडी की वापसी पर विचारार्थ/ प्रयत्न/ अनुवर्ती, एपीडा द्वारा ऐसा मामला सरकार को आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई हेतु दे दिया जाएगा।

20) इस अधिसूचना में निहित होने के अनुरुप दस्तावेजों के सत्यापन और एपीडा द्वारा अपेक्षित विवरण और उपयुक्त दस्तावेज़ों के सत्यापन के उपरांत परिवहन सहायता को जारी की जाएगी।

21) एपीडा के पास निर्यातक, सीधे सीमा शुल्क, एयरलाइनों, शिपिंग लाइनों, माल भाड़ा और अन्य किसी संस्था / कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किसी भी तथ्य को दोबारा क्रास चेक करने का पूरा अधिकार है। जिसमें निर्यातकों से मूल दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करने के लिए भी कहा जा सकता है।

परिवहन सहायता हेतु प्रयोज्यता

22) परिवहन सहायता की गणना के लिए मानदंड हैं निम्नलिखित हैं :

वायु द्वारा निर्यात के लिए परिवहन सहायता मानदंड
न्यूनतम :
एफओबी मूल्य का 10%
माल भाड़े का 25%
विशिष्ट दर (रुपए प्रति किलो)

समुद्र द्वारा निर्यात के लिए परिवहन सहायता मानदंड	
गैर-रीफर डिब्बों (कंटेनरों) में उपयुक्त उत्पादों के निर्यात के लिए	**रीफर डिब्बों (कंटेनरों) में उपयुक्त उत्पादों के निर्यात के लिए**
न्यूनतम :	न्यूनतम :
एफओबी मूल्य का 10%	एफओबी मूल्य का 10%
समुद्री माल भाड़े का 25%	समुद्री माल भाड़े का 33% (रीफर डिब्बों (कंटेनरों) में अंतर्देशीय माल भाड़े सहित और मूल समुद्री माल भाड़ा) (नीचे दिए गए नोट देखें)

विशिष्ट दर (रुपय प्रति किलो)	विशिष्ट दर (रुपय प्रति किलो)

नोट : परिवहन सहायता गणना में प्रयुक्त रीफर कंटेनरों द्वारा अंतर्देशीय माल भाड़ा (फैक्ट्री से बंदरगाह तक) निम्नलिखित शर्तों पर मानक भाड़े में शामिल होगा :

(1) रीफर कंटेनर फैक्ट्री का उत्पाद है (अर्थात् कारखाने से बंदरगाह तक अंतर्देशीय संचालन रीफर कंटेनर ट्रक द्वारा किया जाएगा)

(2) आबकारी और सीमा शुल्क अनुबद्ध मुहर (अंतर्देशीय संचालन हेतु) की प्रतियां परिवाहन सहायता दावे में शामिल होंगी।

(3) टीए की कुल मात्रा समुद्री भाड़े के 50% से अधिक न हो।

वायु और समुद्र से परिवहन सहायता हेतु विशिष्ट प्रति किलो दर परिशिष्ट-III में सूचित है। देशों के विभिन्न राज्यों का विवरण परिशिष्ट-IV में सूचित है।

वायु और समुद्री लदान हेतु परिवहन सहायता कुल वजन के आधार पर देय होगी।

23. उपयुक्त उत्पाद और वायु / समुद्र सहायता हेतु अनुज्ञेय गंतव्य की सूची निम्नलिखित है :

अ.) वायु द्वारा

उपयुक्त उत्पाद/ वस्तु	**गंतव्य स्थान (लक्ष्य स्थान)**	**उपयुक्त ता हेतु न्यूनतम एफओबी मूल्य (रुपये / किग्रा)**

पुष्पकृषि

ताज़ा कटे फूल/ गुलदस्ते - निम्नलिखित नोट (1) देखें	पड़ोसी देशों के अतिरिक्त सभी लक्ष्य स्थान	100
जीवित पौधे और बल्ब		100
ऊतक संवर्धन पौधे		2000

ताज़े फल

आम और अंगूरों के अतिरिक्त ताज़े फल	पड़ोसी देशों के अतिरिक्त सभी लक्ष्य स्थान	30
अंगूर	पड़ोसी देशों के अतिरिक्त सभी लक्ष्य स्थान, यूरोपीय संघ और मध्य पूर्व के देश	35
आम		30

ताज़ी सब्ज़ियां

ताज़ी सब्ज़ियां (ताज़े मशरूम के अतिरिक्त जैविक रुप से उगाई गई सब्ज़ियां)		30

	पड़ोसी देशों के अतिरिक्त सभी लक्ष्य स्थान	
ताज़े मशरूम		35

कुक्कुट उत्पाद

हैचिंग अंडे (एसपीएफ अंडे सहित)	पड़ोसी देशों के अतिरिक्त सभी लक्ष्य स्थान	120

रसोई संबंधित ताजा जड़ी बूटियां

रसोई संबंधित ताजा जड़ी बूटियां निम्नलिखित नोट (2) देखें	पड़ोसी देशों के अतिरिक्त सभी लक्ष्य स्थान	80

पशु उत्पाद

भेड़ की खाल	पड़ोसी देशों के अतिरिक्त सभी लक्ष्य स्थान	1500

नोट : (1) ताज़ा कटे फूल/ गुलाब, जरबेरा, गुलदाउदी, एरिनजियम, हायपेरिशियम, सुगंधित स्वदेशी फूल (चंपा, चमेली , मोगरा आदि) समेत सभी ताज़ा फूलों के गुलदस्ते, गर्मियों के फूल, गोसीपियम, लिज़ियांदस, कारनेशन, गेंदा, ट्यूबरकोस, एनथ्यूरियम्स, लिली, कटी पत्तियां, गमलों में लगे पौधे, सजावटी फूलों के उत्पाद/ गुलदस्ते आदि।

(2) रसोई संबंधित जड़ी बूटियों को ताज़ा अवस्था में एपीडा के अनुसूचित उत्पादों की सूची में निर्यात किया जाता है।

समुद्र द्वारा निर्यात

उपयुक्त उत्पाद/ वस्तुएं	**लक्ष्य स्थान**	**उपयुक्त ता हेतु न्यूनतम एफओबी मूल्य (रुपये / किग्रा)**

ताज़े / ठंडे फल

आम और अंगूर के अतिरिक्त अन्य ताज़ा फल	पड़ोसी देशों के अतिरिक्त सभी लक्ष्य स्थान	30
आम	पड़ोसी देशों के अतिरिक्त सभी लक्ष्य स्थान, यूरोपीय संघ और मध्य पूर्व के देश	35
अंगूर		30

ताज़ी / ठंडी सब्ज़ियां

ताज़ी/ ठंडी सब्ज़ियां (जैविक रुप से उगाई गई और मिश्रित सब्ज़ियों समेत)	पड़ोसी देशों के अतिरिक्त सभी लक्ष्य स्थान	30

प्रसंस्कृत सब्ज़ियां

(1) संरक्षित सब्ज़ियां (एसिटिक एसिड / सिरका / ब्राइन) (दालों के अतिरिक्त ककड़ी निर्मित और संरक्षित, एसिटिक एसिड में प्याज़ और आलू के गुच्छे/ पाउडर)	पड़ोसी देशों के अतिरिक्त सभी लक्ष्य स्थान	35
(2) निर्जलित प्याज और लहसुन (गुच्छे / पाउडर)		70
(3) अचार / चटनी (फलों या सब्ज़ियां या फलों और सब्ज़ियों का मिश्रण)		60
(4) मशरूम निर्मित और संरक्षित		50
(5) फ्रोज़न / आईक्यूएफ रुप में सभी प्रसंस्कृत सब्ज़ियां		60

प्रसंस्कृत फल

(1) सभी प्रसंस्कृत फल निर्मित उत्पाद (स्क्वाश, जूस और पल्प के अतिरिक्त)	पड़ोसी देशों के अतिरिक्त सभी लक्ष्य स्थान	50
(2) फल स्क्वाश		60
(3) फल जूस		60
(4) फल पल्प		60

प्रसंस्कृत खाद्य

उपभोक्ता पैक में रेडी टू ईट / कुक करी / मील्स और स्नैक फूड्स	पड़ोसी देशों के अतिरिक्त सभी लक्ष्य स्थान	80

कुक्कुट उत्पाद

(1) टेबल अंडे	पड़ोसी देशों के अतिरिक्त सभी लक्ष्य स्थान	50
(2) सूखे/पके हुए शैल रहित अंडे) / संपूर्ण अंडा पाउडर		200
(3) सूखी अंडे की ज़र्दी / अंडे की ज़र्दी का पाउडर		200
(4) फ्रोज़न कुक्कुट मांस और प्रसंस्कृत कुक्कुट उत्पाद		75

डेयरी उत्पाद

(1) दूध पाउडर (साबुत और स्किम्ड)	पड़ोसी देशों के अतिरिक्त सभी लक्ष्य स्थान	120
(2) रीफर कंटेनर सहित चीज़ (हर रुप में)		150
(3) यूएचटी दूध		40
(4) आईसक्रीम (फ्रोज़न डैज़र्ट सहित)		70

पुष्पकृषि

ताज़ा कटे फूल (निम्नलिखित नोट (1) देखें)	पड़ोसी देशों के अतिरिक्त सभी लक्ष्य स्थान	100
सूखे फूल		75

औषधीय पौधे

औषधीय पौधे (निम्नलिखित नोट (2) देखें)	पड़ोसी देशों के अतिरिक्त सभी लक्ष्य स्थान	80

नोट : (1) ताज़ा कटे फूल/ गुलाब, जरबेरा, गुलदाउदी, एरिनजियम, हायपेरिशियम, सुगंधित स्वदेशी फूल (चंपा, चमेली , मोगरा आदि) समेत सभी ताज़ा फूलों के गुलदस्ते, गर्मियों के फूल, गोसीपियम, लिज़ियांदस, कारनेशन, गेंदा, ट्यूबरकोस, एनथ्यूरियम्स, लिली, कटी पत्तियां, गमलों में लगे पौधे, सजावटी फूलों के उत्पाद/ विदेशी फूल आदि।

(2) केवल औषधीय पौधे एपीडा के अनुसूचित उत्पादों की सूची में आते है।

24. यदि निर्यातक द्वारा परिवहन लागत वितरण के समय भुगतान करने के साथ निर्यात एफओबी आधार पर किया जा रहा है तो परिवहन हेतु किया किया गया भुगतान निम्नलिखित दस्तावेज़ों की स्कैंड प्रति की प्रस्तुति पर परिवहन सहायता की गणना के लिए विचार किया जाएगा :

अ.) बैंक प्रमाणित वाणिज्यिक बीजक

आ.)समुद्री लदान के संबंध में माल की रसीद (बिल ऑफ लेडिंग)

इ.) एयरलाइंस / लदान कंपनी द्वारा आयातक पर लगाया गया माल भाड़ा बीजक / आयातक देशों के एजेंटों द्वारा उल्लेख किए गए एयरवे रसीदों की संख्या / उक्त निर्यात प्रेषण (कन्साइन्मन्ट) के लिए भुगतान किया गया भाड़ा संबंधी लदान पत्र (बिल ऑफ लेडिंग) विधिवत् सत्यापित रुप से सत्यापित हो अथवा आयातक द्वारा आयतक के सील के साथ प्रमाणित हो। भाड़ा बीजक में मूल समुद्री भाड़ा, बीएएफ, सीएएफ आदि का क्रमानुसार पृथक रुप से विवरण देगा। यदि आवेदक पृथक विवरण देने में विफल होता है तो परिशिष्ट-I में बीईफ, सीएएफ आदि के लिए एक पूर्व निर्धारित कटौती उल्लेखित की गई है।

ई.) बैंक बोध प्रमाण-पत्र (बीआरसी) / ई- बीआरसी

समुद्री परिवहन सहायता हेतु प्रयोज्यता

25. समुद्री परिवहन सहायता हेतु उपयुक्त उत्पाद और अनुज्ञेय लक्ष्य स्थानों की सूची पॉइन्ट नं.23 में दी गई है।

26. इस योजना के अंतर्गत परिवहन सहायता हेतु उपयुक्त उत्पादों के लिए लक्ष्य देशों में भूमि परिवहन हेतु भाड़ा प्रभार परिवहन सहायता के लिए उपयुक्त नहीं है। हालांकि, भारत में रीफर कंटेनरों द्वारा परिवहन के संबंध में अंतर्देशीय भाड़ा सहायता कारखाने भराई रिपोर्ट और अंतर्देशीय भाड़ा बीजक प्रस्तुत करने पर प्रदान की जाएगी। इन दस्तावेज़ों के संलग्न न किए जाने पर अंतर्देशीय भाड़ा सहायता का भुगतान नहीं किया जाएगा।

विविध

27. निर्यातक या लाभदायक द्वारा योग्य दावे के अतिरिक्त यदि किसी प्रकार का अधिक भुगतान किया गया हो तो एपीडा द्वारा निर्यातक या लाभदायक से संपूर्ण अधिक भुगतान की वसूली की जा सकती है। तत्संबंधी अधिकार एपीडा के पास सुरक्षित हैं।

❖

परिशिष्ट - I

बुनियादी समुद्री भाड़े का क्षेत्रवार प्रतिशत

क्रं.सं	क्षेत्र	बुनियादी समुद्री भाड़े का क्षेत्रवार प्रतिशत
1.	अफ्रीका	70.00
2.	ऑस्ट्रेलिया	70.00
3.	यूरोप	61.00
4.	मध्य पूर्व एशिया	73.00
5.	उत्तरी अमरीका	74.00
6.	उत्तरी एशिया	63.00
7.	दक्षिणी अमरीका	78.00
8.	दक्षिणी एशिया	71.00

परिशिष्ट - II

दावों की प्रस्तुति हेतु निर्धारित तिथि	
महीना	**दावों की प्रस्तुति हेतु अंतिम तिथि**
1-30 नवंबर 2015	28 मई 2016
1-31 दिसंबर 2015	28 जून 2016
1-31 जनवरी 2016	29 जुलाई 2016
1-28 फरवरी 2016	26 अगस्त 2016
1-31 मार्च 2016	27 सितंबर 2016
1-30 अप्रैल 2016	27 अक्टूबर 2016
1-31 मई 2016	27 नवंबर 2016
1-30 जून 2016	27 दिसंबर 2016
1-31 जुलाई 2016	27 जनवरी 2017
1-31 अगस्त 2016	27 फरवरी 2017
1-30 सितंबर 2016	29 मार्च 2017
1-31 अक्टूबर 2016	29 अप्रैल 2017
1-30 नवंबर 2016	29 मई 2017
1-31 दिसंबर 2016	29 जून 2017
1-31 जनवरी 2017	30 जुलाई 2017
1-31 फरवरी 2017	27 अगस्त 2017
1-31 मार्च 2017	27 सितंबर 2017

अ. उपयुक्त उत्पादों के वायु द्वारा निर्यात हेतु विशिष्ट परिवहन सहायता दर

लक्ष्य स्थान	**विशिष्ट परिवहन सहायता दर (रुपए प्रति किलो)**	
	सभी उपयुक्त उत्पादों के लिए/ ताज़ा कटे फूलों के अतिरिक्त	**ताज़ा कटे फूल**
यूरोप	17	30
अफ्रीका	15	30
मध्य पूर्व	7	10
स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल देश	7	12
दक्षिणी पूर्वी एशिया	7	12
सुदूर पूर्व और उत्तरी एशिया (चीन जापान सहित)	18	30
उत्तरी अमरीका (अमरीका, कनाडा और मेक्सिको)	25	45
मध्य अमेरिका और कैरेबियन	25	45
दक्षिणी अमरीका	25	45
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड	18	34

आ. उपयुक्त उत्पादों के समुद्र द्वारा निर्यात हेतु विशिष्ट परिवहन सहायता दर

लक्ष्य स्थान	**विशिष्ट परिवहन सहायता दर (रुपए प्रति किलो)**	
	रीफर कंटेनर	**गैर रीफर कंटेनर**
यूरोप	6.0	1.5
अफ्रीका	6.0	1.5
मध्य पूर्व	3.0	1.0
स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल देश	6.0	1.25
दक्षिणी पूर्वी एशिया	3.0	1.0
सुदूर पूर्व और उत्तरी एशिया (चीन जापान सहित)	6.0	1.25
उत्तरी अमरीका (अमरीका, कनाडा और मेक्सिको)	8.0	2.5
मध्य अमेरिका और कैरेबियन	8.0	2.5
दक्षिणी अमरीका	8.0	2.5
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड	6.0	1.25

नोट : प्रत्येक लक्ष्य स्थान हेतु विशिष्ट देशों का विवरण परिशिष्ट - IV में उल्लिखित है।

परिशिष्ट - IV

एपीडा परिपत्र के अनुसार लक्ष्य स्थान और उनसे संबंधित विशिष्ट देश

क्षेत्र	**देश**
यूरोप	अल्बानिया, एंदोरा , ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीस, जर्मनी, हंगरी, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिचेंस्टीन, लिथुआनिया, लक्समबर्ग, मैसिडोनिया, माल्टा , मोनाको, नीदरलैंड, नार्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, सर्बिया मोंटेनेग्रो, स्लोवाक प्रतिनिधि, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम, वेटिकन सिटी
अफ्रीका	अल्जीरिया, अंगोला, बेनिन, बोत्सवाना, बुर्किना फासो, बुरुंडी, कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, कोमोरोस, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य , कांगो गणराज्य, जिबूती, मिस्र, इरिट्रिया, इथियोपिया, इक्वेटोरियल गिनी, गैबॉन, गाम्बिया, घाना, गिनी , गिनी बिसाऊ, आइवरी कोस्ट, केन्या, लेसोथो, लाइबेरिया, लीबिया, मेडागास्कर, माली, मलावी, मोरक्को, मॉरीशस, मॉरिटानिया, मोजाम्बिक, नामीबिया, नाइजर, नाइजीरिया, रवांडा, सेनेगल, सूडान, ट्यूनीशिया, सिएरा लियोन, सेशल्स, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, स्वाजीलैंड, तंजानिया गणराज्य , टोगो, ट्यूनीशिया, युगांडा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे
पश्चिमी अफ्रीका	अंगोला, बेनिन, बुर्किना फासो, कैमरून, केप वर्ड (गणराज्य), कोटे डी आइवर, इक्वेटोरियल गिनी गैबॉन, गाम्बिया, घाना, गिनी, गिनी बिसाऊ, लाइबेरिया, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, नाइजीरिया, सेनेगल, सियरा लियोन, टोगो
मध्य पूर्वी	अफगानिस्तान, बहरीन, ईरान, इराक, इजरायल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, मंगोलिया, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, यमन
स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल देश	आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, मोल्दोवा, रूस, यूक्रेन, उजबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकस्तान
दक्षिणी पूर्वी एशिया	ब्रुनेई दारुस्सलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम
सुदूर पूर्व और उत्तरी एशिया (चीन जापान सहित)	चीन लोकतांत्रिक गणराज्य, हांगकांग, जापान, कोरिया डी पी आर.पी., कोरिया आर.पी., ताइवान
उत्तरी अमरीका (अमरीका, कनाडा और मेक्सिको)	कनाडा, अमरीका, मेक्सिको
मध्य अमेरिका और कैरेबियन	बेलीज, कोस्टा रिका, क्यूबा, ग्वाटेमाला, होंडुरास, पनामा, वेस्ट इंडीज, अल साल्वाडोर

दक्षिणी अमरीका	अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राजील, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, फ्रेंच गुआना, गुआना, पराग्वे, उरुग्वे, पेरू, सूरीनाम, वेनेजुएला
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड	ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ और न्यू गिनी, फिजी
पड़ोसी देश	बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार